भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1348 जिसका उत्तर
शुक्रवार, 6 फ़रवरी, 2026/17 माघ, 1947 (शक) को दिया जाना है

गंगा नदी में तलकर्षण का कार्य

† 1348. श्री अजय कुमार मंडल :

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) बिहार के भागलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में गंगा नदी में तलकर्षण का कार्य शुरू करने के क्या उद्देश्य हैं;

(ख) क्या गंगा नदी के इस खंड में तलकर्षण कार्य शुरू कर दिए गए हैं अथवा प्रस्तावित हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भागलपुर में विशेषकर नौचालन, कटाव नियंत्रण, बाढ़ प्रबंधन और स्थानीय आर्थिक विकास के संबंध में तलकर्षण कार्य के क्या अपेक्षित परिणाम रहेंगे?

उत्तर
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) और (ख): ड्रेजिंग कार्य का उद्देश्य, गंगा नदी में, जिसे राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (गंगा-भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली) घोषित किया गया है, मालवाहक जलयानों की सुगम आवाजाही के लिए 45 मीटर चौड़े नौवहन चैनल में 3 मीटर की नौगम्य गहराई बनाए रखना है। 1620 किलोमीटर के घोषित जलखंड में से कहलगांव से सुल्तानगंज तक लगभग 56 किलोमीटर भागलपुर जिले के अंतर्गत आता है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई), एक स्वायत्त संगठन, इस क्षेत्र में, जहां कही भी न्यूनतम उपलब्ध गहराई (एलएडी) 3 मीटर से कम है, ड्रेजिंग करने के लिए अपने विभागीय ड्रेजर परिनियोजित कर रहा है।

(ग): ड्रेजिंग कार्य जलयानों की आवाजाही के लिए सुचारू नौचालन सुनिश्चित करने हेतु आवश्यकता के आधार पर ड्रेजिंग कार्य किया जाता है। रेल और सड़क परिवहन की तुलना में अंतर्देशीय जल परिवहन पर्यावरण के अनुकूल, किफायती और ईंधन-कुशल है, जिससे देश को समग्र आर्थिक लाभ होता है।

*****